UPGK010023062026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 981/2026

काजल निलेश कुमार दवे पुत्री- निलेश कुमार दवे, उम्र- करीब 27 वर्ष, निवासी- गनपति मंदिर रोड, नन्दुबार, थाना- नन्दूबार, जनपद- नन्दूबार (महाराष्ट्र)।

.....आवेदिका/अभियुक्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार **.....विपक्षी**

मु०अ०सं०–846/2025
धारा–318(4),319(2),336(3),338,340(2),61(2)B.N.S
थाना–रामगढ़ताल, जिला–गोरखपुर।

आदेश

1. आवेदिका/अभियुक्ता काजल निलेश कुमार दवे की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना– पत्र संख्या– 981/2026, मु०अ०सं०– 846/2025, धारा– 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2), 61(2)B.N.S, थाना–रामगढ़ताल, जिला–गोरखपुर प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में जिला कारागार गोरखपुर में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

2. तहरीर में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार, वर्तमान मामले में आवेदिका/अभियुक्ता काजल निलेश कुमार दवे के विरूद्ध धोखाधड़ी करके छल के प्रयोजन से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर प्रथम सूचनाकर्ता का रूपया हड़पने का अभिकथन है।

3. आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदिका/अभियुक्ता पूर्णतया निर्दोष है उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्राथमिकी विलम्ब से पंजीकृत कराई गई है। अभियोजन द्वारा जिस प्रकार से घटना घटित होना कहा जाता है वास्तव में उस प्रकार से कोई घटना घटित नहीं हुई। प्रकरण सिविल प्रकृति का है। कथित अपराध में आवेदिका/अभियुक्ता संलिप्त नहीं थी। आवेदिका/अभियुक्ता के विरूद्ध प्रथम दृष्टया कोई अपराध सृजित नहीं होता है। पुलिस पूछताछ हेतु आवेदिका/अभियुक्ता को थाने पर बुलाई तथा एक फर्जी गिरफ्तारी जिसका कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं, दिखाते हुआ दिनांक 26.02.2026 को गिरफ्तार करके उसे जेल भेज

दिया। आवेदिका/अभियुक्ता दिनांक 26.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। इन समस्त आधारों पर आवेदिका/अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का कड़ा विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदिका/अभियुक्ता काजल निलेश कुमार दवे के द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर धोखाधड़ी करके छल के प्रयोजन से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर प्रथम सूचनाकर्ता का रूपया हड़प लिया गया है। आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

5. मैंने जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6. वर्तमान मामले में आवेदिका/अभियुक्ता के विरूद्ध अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर प्रथम सूचनाकर्ता से उसके काम्प्लेक्स में फूड कोर्ट खोलने के नाम पर खाते में पैसा प्राप्त करने धोखाधड़ी करके छल के प्रयोजन से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर प्रथम सूचनाकर्ता का रूपया हड़प लेने का गम्भीर अभिकथन है। केस डायरी
के पर्चा संख्या 13 दिनांकित 01.03.2026 में उल्लिखित तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रथम सूचनाकर्ता तथा आवेदिका/अभियुक्ता के मध्य व्यापार के संबंध में रूपये का लेन–देन हुआ है। अबतक की विवेचना में विवेचक द्वारा कथित अपराध में आवेदिका/अभियुक्ता की विशिष्ट भूमिका एवं भागिता के संबंध में विस्तृत साक्ष्य संकलित किया गया है। प्रस्तुत मामले में विवेचक द्वारा विवेचना की सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने के उपरान्त ही आवेदिका/अभियुक्ता व अन्य सह–अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। इस स्तर पर आवेदिका/अभियुक्ता को प्रश्नगत घटना में मिथ्यारोपित किये जाने का कोई ठोस एवं न्यायोचित आधार विद्यमान नहीं है। आवेदिका/अभियुक्ता की तरफ से प्रस्तुत तर्क एवं बचाव में उल्लिखित तथ्य साक्ष्य एवं विचारण का विषय है। सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की गम्भीरता तथा कथित अपराध में आवेदिका/अभियुक्ता की विशिष्ट भूमिका एवं भागिता को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोष पर अपनी कोई अंतिम राय व्यक्त किये बिना आवेदिका/अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने का कोई ठोस एवं न्यायोचित आधार विद्यमान नहीं है।

.

निष्कर्षतः आवेदिका/अभियुक्ता काजल निलेश कुमार दवे द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक 24.03.2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O. Code-UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.03.24 16:08:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court